

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर

प्रकरण संख्या 05/21(इजराय)


उनवान सांवत्या बनाम रामजीलाल वगैरह


दिनांक: 14.05.2022

पत्रावली आज द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में आयोजित होने पर में पेश हुई। न्यायालय द्वारा वादपत्र संख्या 188/2013 दिनांक 23.08.2018 को अंतिम रूप से डिक्री किया गया जिसकी इजराय पेश हुई। डिक्री की पालना तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा कार्यालय पत्रांक/भूअ./22/666 दिनांक 09.05.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वादपत्र के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण सं 402 दिनांक 19.11.2019 से दर्ज होकर स्वीकृत हो चुका है।

अतः अब प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)
(न्यायिक अधिकारी)


राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)